कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष / Phone: **06562.224953, 8987790232**

पत्रांक ———

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल,
लातेहार।

मेदिनीनगर, दिनांक ———

विषय : **मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु 6.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव संख्या (FP/JH/RAIL/156521/2022) के सम्बन्ध में।**

प्रसंग : 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 573 दिनांक 07.07.2025 ।
2. आपका पत्रांक 2573 दिनांक 17.10.2025 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के सम्बन्ध में सूचित करना है कि विषयगत प्रस्ताव के सन्दर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 573 दिनांक 07.07.2025 द्वारा 09 (नव) बिन्दुओं पर निराकरण प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। उक्त के आलोक में प्रासंगिक पत्र 2 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

निराकरण प्रतिवेदन को अग्रसारित करने के पूर्व, संचिका के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मूल संचिका भेजा गया था। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू द्वारा उक्त निराकरण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में टिप्पणी अंकित की गयी है कि ''कंडिका 3 का उत्तर सामग्री अपूर्ण है। आपत्ति सभी पूर्व के प्रस्तावों से सम्बन्धित है न कि मात्र रेल / सड़क से''।

अतः प्रासंगिक पत्र 2 द्वारा प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की सात प्रति मूल रूप में वापस करते हुए अनुरोध है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू द्वारा अंकित टिप्पणी का निराकरण करते हुए पूर्ण प्रतिवेदन मंतव्य के साथ शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

आपका विश्वासी

ह0 /–
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 607 **दिनांक** 06/11/2025

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू को उनके पत्रांक 1494 दिनांक 04.11.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ समर्पित।

06/11/25

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

4/11/25